आधिकारिक परिसमापक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड

बनाम

इलाहाबाद बैंक व अन्य दीवानी

अपील संख्या 2511/2013

12 मार्च, 2013

[एच.एल. दत्तु और दीपक मिश्रा, न्यायाधिपतिगण]

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993- धारा 3०- अधिनियम के अंतर्गत वसूली अधिकारी द्वारा नीलामी/बिक्री- समापन कार्यवाही में कंपनी न्यायालय द्वारा आधिकारिक परिसमाप्ति की नियुक्ति-आधिकारिक परिसमापक द्वारा कंपनी न्यायालय के समक्ष नीलामी/बिक्री को चुनौती- कंपनी कोर्ट का चुनौती को सुनने का क्षेत्राधिकार- निर्णय: 1993 का अधिनियम स्वयं व्यापक संहिता है और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया राशि की वसूली हेतु संपत्ति के बेचान का न्यायाधिकरण (डीआरटी) के पास अनन्य क्षेत्राधिकार है- किंतु, नीलामी/बिक्री के समय आधिकारिक परिसमापक को संबद्ध करना आवश्यक है- 1993 अधिनियम स्पष्ट रूप से प्रावधानित करता है कि वसूली अधिकारी के कार्य से पीड़ित कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है- आधिकारिक परिसमापक जिसको संबद्ध किया जाना आवश्यक है, वसूली

अधिकारी के कार्य से पीड़ित व्यक्ति माना जा सकता है- 1993 अधिनियम के विशिष्ट अधिनियम होने के तथ्य की दृष्टि से अपील ही एकमात्र उपाय है और कंपनी न्यायालय के पास ऐसे मामले में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है- चुनाव का सिद्धांत भी इस मामले में लागू नहीं होता है- इसलिए आधिकारिक परिसमापक केवल 1993 अधिनियम के अंतर्गत अपील कर सकता है तथा कंपनी न्यायालय नहीं जा सकता है- कंपनी अधिनियम, 1956- क्षेत्राधिकार- सिद्धांत- चुनाव का सिद्धांत।

उच्च न्यायालय- क्षेत्राधिकार- कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत- प्रकृति- निर्धारित: कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सामान्य प्रकृति का है, असाधारण या अंतर्निहित नहीं।

वर्तमान अपील में विचारण हेतु प्रश्न था कि क्या कंपनी न्यायाधीश के पास कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आधिकारिक परिसमापक के आग्रह पर वसूली अधिकारी द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम 1993 के अन्तर्गत की गई नीलामी और बिक्री की कार्यवाही को रद्द करने का क्षेत्राधिकार है अथवा क्या आधिकारिक परिसमापक को 1993 अधिनियम के तहत नीलामी आदेश और उसके परिणामस्वरूप बिक्री पुष्टि के विरुद्ध अपील करना आवश्यक था?

अपील का निर्धारण करते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया-

1. बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम,

1993 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली, अपील और अधिनिर्णयन के सभी पहलुओं के संबंध में व्यापक संहिता है और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया राशि की वसूली हेतु संपत्ति के बेचन का न्यायाधिकरण (डीआरटी) के पास अनन्य क्षेत्राधिकार है।(पैरा 11 और 19)

दामजी वल्जी शाह बनाम एलआईसी ऑफ़ इंडिया **एआईआर 1966 एससी 135: 1965 एससीआर 665- निर्भर किया गया।** आंध्र बैंक बनाम आधिकारिक परिसमापक व अन्य **(2005) 5 एससीसी 75: 2005(2) एससीआर 776;** जितेंद्र नाथ सिंह बनाम आधिकारिक परिसमापक व अन्य **(2013) 1 एससीसी 462;** अंतरराष्ट्रीय कोच बिल्डर्स लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम **(2003) 1० एससीसी 482: 2003(2) एससीआर 631;** आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम बनाम आधिकारिक परिसमापक **(2000) 7 एससीसी 291: 2000 (2) सप्ली एससीआर 288- संदर्भित ।**

2. कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय सामान्य प्रकृति के क्षेत्राधिकार कि प्रयोग करता है, असाधारण या अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का नही और यही कारण है कि विधायिका ने यह उपयुक्त माना है कि उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226 और 227 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार अप्रभावित रहेगा, अतः बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा संस्थित कार्यवाही में संपत्ति बिक्री का अनन्य क्षेत्राधिकार डीआरटी के पास है, किंतु, नीलामी और बिक्री के समय

आधिकारिक परिसमापक को संबद्ध करना आवश्यक है। एक बार आधिकारिक परिसमापक संबद्ध हो जाता है तो उसकी यह भूमिका है कि वह यह देखे कि नीलामी संचालन में कोई अनियमितता नहीं है और निष्पक्ष, पारदर्शी तथा ग़ैर मनमाने तरीक़े और 1993 अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों के तहत नीलामी आयोजित करके उचित मूल्य प्राप्त किया गया है। (पैरा 22-24)

ज्योति भूषण गुप्ता व अन्य बनाम बनारस बैंक लिमिटेड **एआईआर 1962 एससी 403: 1962 सप्ली एससीआर 73;** प्रवीण गड़ा और अन्य बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया व अन्य **(2013) 2 एससीसी 101- निर्भर किए गए।**

3. वसूली अधिकारी की नीलामी कार्यवाही को चुनौती डीआरटी मैं अपील दायर करके दी जाएगी। वर्तमान मामले में, आधिकारिक परिसमापक नीलामी की कार्यवाही जिस तरह से की गई थी, उससे संतुष्ट नहीं था और उसने कंपनी न्यायाधीश को रिपोर्ट करना उचित समझा जिन्होंने नीलामी को रद्द किया। आधिकारिक परिसमापक को ऐसे मामलों में अपना पक्ष रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसलिए, वसूली अधिकारी के किसी कार्य से व्यथित व्यक्ति द्वारा अपील की जा सकती है। ऐसी वैधानिक व्यवस्था 1993 अधिनियम, जो कि एक विशिष्ट अधिनियम है, के अन्तर्गत प्रदान की गई है। डीआरटी के पास 1993 अधिनियम के तहत

यथोचित जाँच करने और वसूली अधिकारी द्वारा 1993 अधिनियम की धारा 25 से 28 के अन्तर्गत पारित आदेश की पुष्टि करने, संशोधित करने और निरस्त करने की शक्ति है। इस प्रकार 1993 अधिनियम की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान मैं रखते हुए उक्त अधिनियम के अंतर्गत नीलामी, बिक्री तथा चुनौतियाँ पूर्णतः संहिताबद्ध हैं।

भारत संघ व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ व अन्य **(2002) 4 एससीसी 275; 2002 (2) एससीआर 450- निर्भर किया गया।**

4. **1993 अधिनियम को अधिनियमित करते समय विधायिका का इरादा है कि बैंकों व वित्तीय संस्थानों के ऋणों की तत्परता से वसूली हो सके। यह कोई स्थिति नहीं है कि आधिकारिक परिसमापक के पास डीआरटी अथवा कंपनी न्यायालय के पास जाने का विकल्प है। 1993 अधिनियम की भाषा स्पष्ट रूप से प्रावधानित करती है कि कोई भी व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है। आधिकारिक परिसमापक जिसका संबद्ध होना आवश्यक है, निस्संदेह ही वसूली अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही जिसमें नीलामी संपादन का तरीक़ा या बिक्री की पुष्टि शामिल है, के संबंध में व्यथित व्यक्ति माना जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में आधिकारिक परिसामपक चुनाव के सिद्धांत का भी सहारा नहीं ले सकता है। यह कल्पना कर्ण मुश्किल है कि यहाँ दो उपाय हैं। यदि एक ही उपाय**

उपलब्ध है तो चुनाव का सिद्धांत लागू नहीं होता है। डीआरटी द्वारा 1993 अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत पारित आदेश अपील योग्य है।इस प्रकार, आधिकारिक परिसमापक नीलामी की कार्यवाही अथवा बिक्री पुष्टि जबकि वसूली अधिकारी द्वारा 1993 अधिनियम के अंतर्गत बिक्री पुष्ट कर दी गई हो, को रद्द करवाने हेतु केवल अपील और आगे अपील का तरीक़ा अपनाया जा सकता है और कंपनी न्यायालय को संपर्क नहीं किया जा सकता है। (पैरा 27)

राजस्थान राज्य वित्तीय निगम व अन्य बनाम आधिकारिक परिसमापक व अन्य **(2005) 8 एससीसी 190: 2005 (3) सप्ली एससीआर 1073;** इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक व अन्य **(2000) 4 एससीसी 406: 2000 (2) एससीआर 1102- निर्भर किए गए।**

एम वी जनार्धन रेड्डी बनाम विजया बैंक व अन्य **(2008) 7 एससीसी 738: 2008 (7) एससीआर 520- अंतर किया गया।**

संदर्भित न्यायिक दृष्टांत

1965 एससीआर 665	पर निर्भर था	पैरा 14
2005 (2) एससीआर 776	को संदर्भित करता है	पैरा 15
(2013) 1 सेकंड 462	को संदर्भित करता है	पैरा 15
2003 (2) एससीआर 631	को संदर्भित किया गया	पैरा 16

2000 (2) सप्ल. एससीआर 288 को संदर्भित करता है पैरा 16

1962 सप्ल. एससीआर 73 पर निर्भर था पैरा 21

(2013) 2 सेकंड 101 पर निर्भर था पैरा 23

2002 (2) एससीआर 450 पर निर्भर था पैरा 25

दिवाली अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 2511/2013

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट अपील संख्या 1815/2009 में दिनांक 11/11/2010 को पारित आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता की ओर से रवींद्र कुमार प्रतिवादियों की ओर से देवल बनर्जी, सी मुकुंद, अशोक जैन, पंकज जैन, बिजॉय कुमार जैन, विवेक चौधरी, पंकज भाटिया (डॉ कैलाश चंद के लिए)

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति **दीपक मिश्रा** द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई

2. इस न्यायालय के समक्ष जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है वह यह है कि क्या कंपनी अधिनियम , 1956 (संक्षेप में "1956 अधिनियम") के तहत कंपनी न्यायाधीश के पास आधिकारिक परिसमापक के कहने पर वसूली अधिकारी द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (संक्षिप्तता के लिए "आरडीबी अधिनियम") के तहत आयोजित नीलामी या बिक्री को रद्द करने का क्षेत्राधिकार है या क्या

आधिकारिक परिसमापक को नीलामी और परिणामस्वरूप बिक्री की पुष्टि पर अपील दायर करके आरडीबी अधिनियम के तहत दिए गए मार्ग का पालन करना आवश्यक है।

3. इसमें शामिल विवाद के संबंध में जो कि कानून के शुद्ध प्रश्न के दायरे में है, तथ्यों को विस्तार से उजागर करना आवश्यक नहीं है। इसलिए, आवश्यक तथ्यों को यहां दर्शाया गया है। प्रतिवादी, इलाहाबाद बैंक, एक सुरक्षित लेनदार, जिसके पास कुछ संपत्तियाँ गिरवी रखी गई थीं, ने ब्याज सहित रु. 39,93,47,701/- की वसूली के लिए मैसर्स राजिन्द्र पाइप्स लिमिटेड के विरुद्ध आरडीबी अधिनियम की धारा 9 के तहत 1999 का मूल आवेदन संख्या 153 दायर किया, जिसे ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जबलपुर (डीआरटी) ने अपने आदेश दिनांक 7.3.2000 द्वारा डिक्री किया था। उपरोक्त राशि की वसूली के लिए 2000 की डीआरसी संख्या 164 के रूप में ऋण वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया था, जिसे बाद में इलाहाबाद में डीआरटी को स्थानांतरित कर दिया गया था। विदित हो, कंपनी याचिका संख्या 113/1997 को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विद्वान कंपनी न्यायाधीश के समक्ष दायर किया गया था, जिन्होंने दिनांक 26.7.2000 के आदेश के तहत कंपनी को बंद करने का आदेश पारित किया था, जिसके परिणामस्वरूप आधिकारिक परिसमापक ने 24.7.2002 को कंपनी की संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया था। वसूली प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद, वसूली अधिकारी ने दिनांक 29.8.2002 के आदेश द्वारा बंद हो चुकी कंपनी की

अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया। दिनांक 23.12.2003 के आदेश के अनुसार कंपनी की चल संपत्तियों को कुर्क किया गया। इस समय, इलाहाबाद बैंक ने कंपनी कोर्ट के समक्ष एक आवश्यक पक्ष के रूप में पक्षकार बनाने और समापन कार्यवाही से बाहर निकलने के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया। वसूली अधिकारी द्वारा, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों की बिक्री के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए कंपनी न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की गई थी। विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने 13.2.2004 को आरडीबी अधिनियम के तहत बकाया की वसूली के लिए संपत्तियों की कुर्की और बिक्री की कार्यवाही की अनुमति दे दी। यहां यह बताना जरूरी है कि कोई शर्त नहीं लगाई गई।

4. डीआरटी द्वारा नीलामी और बिक्री की पुष्टि के बाद, नीलामी-क्रेता ने भौतिक कब्ज़ा देने के लिए आधिकारिक परिसमापक को निर्देश जारी करने के लिए विद्वान कंपनी न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया। कंपनी न्यायालय ने, दिनांक 4.4.2007 के आदेश द्वारा, बिक्री प्रमाणपत्र को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आधिकारिक परिसमापक को न तो मामले में सुना गया था और न ही उसे श्रमिकों के बकाया और 1956 अधिनियम की धारा 529-ए के तहत श्रमिकों के दायित्व के एक हिस्सा का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से वसूली अधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया था। वसूली अधिकारी को निर्देश

जारी किया गया था कि वह आधिकारिक परिसमापक को शामिल करने और श्रमिकों के दावों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे सुनने के बाद ही संपत्ति बेचने के लिए आगे बढ़ें।

5. जैसे-जैसे तथ्य सामने आए, आधिकारिक परिसमापक को शामिल करने के बाद, नीलामी आयोजित की गई और वसूली अधिकारी बिक्री की पुष्टि के साथ आगे बढ़े। उस स्तर पर, आधिकारिक परिसमापक ने आरक्षित मूल्य के निर्धारण, कुछ संपत्तियों को शामिल न करने और नीलामी आयोजित करने के तरीके से संबंधित अपनी आपत्तियां दर्ज कीं। वसूली अधिकारी ने बैंक और आधिकारिक परिसमापक को सुनने के बाद बिक्री की पुष्टि की और नीलामी-क्रेता को कब्ज़ा सौंपने के लिए एक तारीख तय की, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि आधिकारिक परिसमापक ने उपस्थित नहीं रहने का फैसला किया। इसके बाद, नीलामी-क्रेता ने उन संपत्तियों का कब्ज़ा सौंपने के लिए आधिकारिक परिसमापक को निर्देश जारी करने के लिए विद्वान कंपनी न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसके संबंध में बिक्री की पुष्टि डीआरटी के वसूली अधिकारी द्वारा की गई थी। इसी तरह की प्रार्थना इलाहाबाद बैंक ने भी एक अन्य आवेदन दाखिल कर की थी. जैसा कि तथ्यात्मक वर्णन से स्पष्ट है, आधिकारिक परिसमापक ने अपनी रिपोर्ट दायर की और कंपनी न्यायालय ने, दोनों आवेदनों और आधिकारिक परिसमापक की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, दिनांक 24.10.2009 के आदेश द्वारा नीलामी और बिक्री की पुष्टि दिनांक

27.2.2009 को इस आधार पर रद्द कर दिया कि नीलामी ठीक से नहीं हुई थी और संपत्तियों की उचित पहचान करने और सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता से उचित मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद बैंक के पास गिरवी रखी गई संपत्तियों की नीलामी करने का निर्देश दिया।

6. उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट होकर, इलाहाबाद बैंक ने डिवीजन बेंच के समक्ष विशेष अपील संख्या 1815/2009 प्रस्तुत की। बिक्री को उचित ठहराने वाले विभिन्न तर्कों को उठाने के अलावा, एक पक्ष यह रखा गया कि कंपनी कोर्ट के पास आरडीबी अधिनियम के तहत वसूली अधिकारी द्वारा की गई बिक्री को रद्द करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। बैंक की उक्त दलील का मुख्यतः इस आधार पर विरोध किया गया कि यह आधिकारिक परिसमापक और कंपनी न्यायालय का कर्तव्य है कि वह कंपनी के सर्वोत्तम हित की निगरानी करे और पर्यवेक्षण की ऐसी शक्ति का प्रयोग करे, यदि पर्याप्त मूल्य प्राप्त करने के लिए संचालन में कोई अनियमितता हो तो नीलामी को कंपनी न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने कंपनी कोर्ट द्वारा पारित पहले के आदेशों, आरडीबी अधिनियम के प्रावधानों, कंपनी कोर्ट द्वारा इलाहाबाद बैंक को खुद को इसमें शामिल करके अपीलकर्ता के ऋण की वसूली के लिए समापन कार्यवाही से बाहर रहने की अनुमति देने का उल्लेख किया। आरडीबी अधिनियम के अनुसार वसूली की कार्यवाही, बैंक के कानूनी और वैध बकाया की वसूली के लिए वसूली अधिकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए आधिकारिक परिसमापक को

निर्देश जारी किया गया और बिक्री से पहले आवश्यक किसी भी शर्त को लागू नहीं किया गया। विद्वान कंपनी न्यायाधीश की मंजूरी और, इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक और अन्य और राजस्थान राज्य वित्तीय निगम में दिए गए निर्णयों पर काफी हद तक भरोसा करते हुए और एक अन्य बनाम आधिकारिक परिसमापक और एक अन्य और एमवी जनार्दन रेड्डी बनाम विजया बैंक और अन्य में पारित निर्णय को अलग करते हुए , यह माना गया कि जब कोई नीलामी आयोजित की जाती है और वसूली अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि की जाती है आरडीबी अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष, आधिकारिक परिसमापक अपील दायर करने और आरडीबी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी शिकायतें उठाने के लिए खुला है और कंपनी कोर्ट के पास बिक्री को रद्द करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इस दृष्टिकोण के कारण, डिवीजन बेंच ने मामले की योग्यता पर कोई भी राय व्यक्त करने से इनकार कर दिया और राय दी कि अपील में उसके लिए उपलब्ध सभी आधारों को लेने के लिए आधिकारिक परिसमापक खुला है। उपरोक्त निष्कर्ष के परिणामस्वरूप, कंपनी न्यायाधीश द्वारा बिक्री की पुष्टि को रद्द करने और नए सिरे से नीलामी का निर्देश देने के आदेश को रद्द कर दिया गया। इस न्यायालय के समक्ष आधिकारिक परिसमापक द्वारा उक्त आदेश की बचावीयता पर प्रश्न उठाया गया है।

7. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री रवीन्द्र कुमार, प्रतिवादी-

इलाहाबाद बैंक के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री देबल बनर्जी और प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील श्री विवेक चौधरी को सुना है।

8. शुरुआत में ही, यह कहना उचित होगा कि यहां ऊपर बताए गए तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि एकमात्र शिकायत क्षेत्राधिकार के मुद्दे से संबंधित है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नीलामी के संचालन में अनियमितता या जिस तरीके से बिक्री की पुष्टि की गई थी, उस पर डिवीजन बेंच ने ध्यान नहीं दिया है क्योंकि इसने इसके परिसीमन को क्षेत्राधिकार वाले स्पेक्ट्रम तक सीमित कर दिया है। इसलिए, हम अपना पता केवल इस तक ही सीमित रखेंगे कि आधिकारिक परिसमापक के लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए उपयुक्त मंच कौनसा है।

9. यह नोट करना उचित है कि आरडीबी अधिनियम इस पृष्ठभूमि में अधिनियमित किया गया है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋणों की वसूली और उनके साथ चार्ज की गई प्रतिभूतियों के प्रवर्तन की प्रक्रिया में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वसूली हेतु जिस प्रकिया का अनुसरण किया जा रहा था, उनके परिणामस्वरूप धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अवरुद्ध हो गया था। आरडीबी अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण स्पष्ट रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋणों की वसूली और उनके साथ ली गई प्रतिभूतियों को लागू करने में आने वाली महत्वपूर्ण कठिनाइयों पर जोर

देता है। अनुत्पादक परिसंपत्तियों में धन को अवरुद्ध करने पर जोर दिया गया है, जिसका मूल्य समय बीतने के साथ बिगड़ता जाता है। "तिवारी समिति की रिपोर्ट" का संदर्भ दिया गया है जिसमें एक सारांश प्रक्रिया का पालन करके बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बकाया राशि की वसूली के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया गया था।

10. आरडीबी अधिनियम का उद्देश्य, जैसा कि स्पष्ट है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों के त्वरित न्यायनिर्णयन और वसूली के लिए और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करना है। आरडीबी अधिनियम की धारा 17 न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार, शक्तियों और प्राधिकार से संबंधित है। यह न्यायाधिकरण को ऐसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आवेदनों पर विचार करने और निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। इसमें अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्तियों के बारे में भी बताया गया है। धारा 18 यह कहते हुए क्षेत्राधिकार पर रोक लगाती है कि कोई भी अदालत या अन्य प्राधिकारी अनुभाग में निर्दिष्ट मामलों के लिए किसी भी क्षेत्राधिकार, शक्तियों या प्राधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा (सर्वोच्च न्यायालय और संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय को छोड़कर) धारा 19 बताती है कि न्यायाधिकरण का आवेदन कैसे प्रस्तुत किया जाना है। उक्त प्रावधान सभी

पहलुओं से व्यापक रूप से संबंधित है। धारा 19(18) न्यायाधिकरण को कुछ कार्य करने के लिए उचित आदेश पारित करने की अपार शक्तियाँ प्रदान करती है,अर्थात्, किसी भी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त करना, किसी भी व्यक्ति को कब्जे से हटाना, रिसीवर को ऐसी सभी शक्तियाँ प्रदान करना और एक आयुक्त नियुक्त करना, आदि। उप -उक्त धारा की धारा (19) में प्रावधान है कि जहां कंपनी अधिनियम , 1956 (1956 का 1) के तहत पंजीकृत कंपनी के खिलाफ वसूली का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है , न्यायाधिकरण ऐसी कंपनी की बिक्री आय को उसके सुरक्षित लोगों के बीच वितरित करने का आदेश दे सकता है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा529 ए के प्रावधानों के अनुसार लेनदारों और कंपनी को अधिशेष, यदि कोई हो, का भुगतान करना होगा। धारा 20 अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील का प्रावधान करती है; धारा 21 अपील दायर करने पर देय ऋण की राशि जमा करने का प्रावधान करती है; और धारा 22 न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियों से संबंधित है। आरडीबी अधिनियम का अध्याय V न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित ऋणों की वसूली से संबंधित है। धारा 25 ऋणों की वसूली के तरीकों का प्रावधान करती है; धारा 26 प्रमाणपत्र की वैधता और उसमें संशोधन के बारे में बताती है; धारा 27 प्रमाणपत्र के तहत कार्यवाही पर रोक लगाने और उसमें संशोधन करने या वापस लेने की शक्ति से संबंधित है; और धारा 28 वसूली के अन्य तरीकों से संबंधित है। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 29 में कहा

गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूची और समय-समय पर लागू आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के प्रावधान, जहां तक जितना संभव हो, आवश्यक संशोधनों के साथ लागू किया जाए जैसे कि उक्त प्रावधान और नियम आयकर अधिनियम के बजाय आरडीबी अधिनियम के तहत देय ऋण की राशि को संदर्भित करते हैं । प्रतिवादी को एक निर्धारिती के बराबर माना गया है। धारा 30 में प्रावधान है कि आरडीबी अधिनियम के तहत वसूली अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस तारीख से तीस दिनों के भीतर, जिस दिन उसे आदेश की एक प्रति जारी की जाती है, न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है। यह न्यायाधिकरण को ऐसी जांच करने की शक्तियां प्रदान करता है जो वह उचित समझे और धारा 25 से 28 (दोनों सम्मिलित) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसूली अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की पुष्टि, संशोधन या रद्द कर दे।

11. धारा 34 में कहा गया है कि आरडीबी अधिनियम का अत्यधिक प्रभाव होगा। धारा 34 , प्रासंगिक होने के कारण, यहां नीचे दी गई है: -

“34. अधिभावी प्रभाव डालने वाला अधिनियम. -(1) उप-धारा (2) के तहत दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी अन्य कानून में या किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी उपकरण में असंगत कुछ भी होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

(2) इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 (1948 का 15), राज्य वित्तीय निगम अधिनियम , 1951 (1951 का 63) के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके निरादर में। , भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 (1963 का 52), भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम , 1984 (1984 का 62), बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम , 1985 (1986 का 1) और लघु उद्योग भारतीय विकास बैंक अधिनियम , 1989 (1989 का 39) के साथ होंगे ना की न्यूनीकरण में

हमने यह उजागर करने के लिए आरडीबी अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों और प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख किया है कि यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय देय राशि के निर्णय, अपील और वसूली से संबंधित सभी पहलुओं से संबंधित एक व्यापक संहिता है।

12. वर्तमान में, हम इलाहाबाद बैंक के मामले में किए गए विश्लेषण पर ध्यान देंगे। उक्त मामले में, यह न्यायालय 1956 अधिनियम के प्रावधानों पर आरडीबी अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव से संबंधित मुद्दे से चिंतित था। इलाहाबाद बैंक 1956 अधिनियम की धारा 442 और 537 के तहत विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा आरडीबी अधिनियम के तहत पारित एक आदेश के खिलाफ इस अदालत में आया था, जिसके तहत कंपनी अदालत ने याचिका को समाप्त करते हुए वसूली अधिकारी के समक्ष

इलाहाबाद बैंक द्वारा की गई बिक्री कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद बैंक का रुख यह था कि आरडीबी अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण बैंक और प्राथमिकताओं के अनुरोध पर कंपनी की संपत्तियों की बिक्री के संबंध में बिक्री आय के विनियोग के सवाल से खुद ही निपट सकता है। तथ्यों को बताने के बाद, न्यायालय ने वे प्रश्न रखे जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है: -

"प्रतिवादी द्वारा सवाल उठाए गए हैं कि क्या न्यायाधिकरण वसूली, निष्पादन की कार्यवाही और किसी कंपनी की संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धन के वितरण के लिए कार्यवाही पर विचार कर सकता है, जिसके खिलाफ परिसमापन की कार्यवाही लंबित है, क्या अनुमति आवश्यक है और किस अदालत को बिक्री आय को विभिन्न लेनदारों के बीच किस प्राथमिकता के अनुसार वितरित करना है।

13. दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने परिभाषा प्रावधानों, विशेष रूप से "ऋण" जैसा कि धारा 2 (जी) , धारा 17 , 18 और 19 (22) और आरडीबी अधिनियम की धारा 31 में परिभाषित किया गया है, का उल्लेख करने के बाद, यह माना कि जहां तक इलाहाबाद बैंक के प्रति प्रतिवादी के दायित्व के न्यायनिर्णयन का प्रश्न है, आरडीबी अधिनियम की धारा 17 और 18 के प्रावधान विशिष्ट हैं। वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र के निष्पादन के पहलू से निपटते हुए, डिवीजन बेंच ने आरडीबी अधिनियम की धारा 34 का

उल्लेख किया और इस प्रकार राय दी: -

"यहां तक कि "निष्पादन" के संबंध में भी वसूली अधिकारी का क्षेत्राधिकार विशिष्ट है। अब न्यायाधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार ऋण की वसूली के लिए अधिनियम में एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है और यह प्रक्रिया अधिनियम के अध्याय V में निहित है और धारा 25 से 30 के अंतर्गत आती है । अधिनियम का यह इरादा नहीं है कि जबकि प्रतिवादी का मूल दायित्व धारा 17 के तहत न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाना है, बैंकों/वित्तीय संस्थानों को इसके लिए सिविल कोर्ट या कंपनी कोर्ट या अधिनियम के बाहर किसी अन्य प्राधिकारी के पास जाना चाहिए। राशि की वास्तविक प्राप्ति. धारा 19(22) के तहत दिए गए प्रमाणपत्र को , हमारी राय में, केवल वसूली अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। विभिन्न चरणों में किसी दोहरे क्षेत्राधिकार पर विचार नहीं किया जाता है।" [जोर दिया गया]

14. इस मुद्दे से निपटने के दौरान कि क्या आरडीबी अधिनियम 1956 अधिनियम की धारा 442 , 446 और 537 के प्रावधानों को खत्म करता है, उक्त प्रावधानों का विश्लेषण करने और कंपनी न्यायालय द्वारा अनुमति और नियंत्रण की अवधारणा पर विचार करने के बाद, विद्वान न्यायाधीशों ने इस पर भरोसा किया। दामजी वलजी शाह बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया में फैसला सुनाया गया और यह माना गया कि अपीलकर्ता

बैंक को डीआरटी के समक्ष दावे के साथ आगे बढ़ने या वसूली अधिकारी की निष्पादन कार्यवाही के संबंध में कंपनी न्यायालय की पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी स्पष्ट रूप से माना गया कि उक्त मुकदमे को कंपनी न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अंततः, पीठ ने फैसला सुनाया कि आरडीबी अधिनियम की धारा 34 के मद्देनजर, न्यायाधिकरण के पास विशेष क्षेत्राधिकार है और इसलिए, कंपनी कोर्ट न्यायाधिकरण/वसूली अधिकारी के खिलाफ 1956 अधिनियम की धारा 442 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए, 1956 अधिनियम की धारा 442, 446 और 537 को न्यायाधिकरण के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है। ज्ञात हो कि, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय राशि की वसूली के लिए त्वरित और संक्षिप्त उपाय पर जोर दिया गया था और 1981 की तिवारी समिति की रिपोर्ट द्वारा अनुशंसित विशेष प्रक्रिया की अवधारणा पर जोर दिया गया था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि आरडीबी अधिनियम के तहत बनाए गए विशेष प्रावधानों को लागू करना होगा। न्यायालय ने खुद को विशेष और सामान्य कानून के रूप में संबोधित किया और फैसला सुनाया कि आरडीबी अधिनियम की धारा 34 के मद्देनजर, यह कंपनी अधिनियम को उस सीमा तक ओवरराइड करता है, जहां अधिनियमों के बीच कोई असंगत बात है। अंतिम विश्लेषण में विद्वान न्यायाधीशों ने इस प्रकार कहा:- "उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि धारा 17 के तहत निर्णय के चरण में और

धारा 25 के तहत प्रमाण पत्र के निष्पादन आदि में, आरडीबी अधिनियम, 1993 के प्रावधान ऋणों के संबंध में न्यायाधिकरण और वसूली अधिकारी को विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान करते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय और धारा 537 के साथ पठित धारा442 के तहत या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 446 के तहत कंपनी न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। आरडीबी अधिनियम के तहत प्राप्त धन के संबंध में, प्राथमिकताओं का प्रश्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों और अन्य लेनदारों का निर्णय केवल आरडीबी अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण द्वारा और कंपनी अधिनियम की धारा 529-ए के साथ पढ़ी गई धारा 19(19) के अनुसार किया जा सकता है, किसी अन्य तरीके से नहीं। आरडीबी अधिनियम, 1993 के प्रावधान उपरोक्त सीमा तक कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों से असंगत हैं और बाद वाले अधिनियम को पूर्व के प्रावधानों के अनुरूप होना होगा। यह स्थिति देनदार कंपनी के खिलाफ समापन याचिका के लंबित रहने के दौरान और समापन आदेश पारित होने के बाद भी लागू रहती है। आरडीबी अधिनियम, 1993 के तहत कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने के लिए कंपनी न्यायालय की अनुमति आवश्यक नहीं है।" [महत्व जोड़ा]

15. कामगारों के दावे से निपटते समय, बेंच ने कहा कि 1956 अधिनियम की धारा 529-ए(1)(ए) के कारण, "कर्मचारियों का बकाया" अन्य सभी लेनदारों, सुरक्षित और असुरक्षित, पर प्राथमिकता रखता है।

ज्ञात हो कि, इलाहाबाद बैंक के मामले में फैसले के पैराग्राफ 76 में ऐसा कहा गया है। इस कथन की सत्यता पर संदेह किया गया और मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया। आंध्रा बैंक बनाम आधिकारिक परिसमापक और अन्य मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यह केवल एक भटका हुआ अवलोकन था क्योंकि उक्त मामले में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इलाहाबाद बैंक निर्विवाद रूप से एक असुरक्षित ऋणदाता था और, तदनुसार, बड़ी बेंच ने कहा कि उपरोक्त सीमा तक इलाहाबाद बैंक के मामले में इस न्यायालय का निष्कर्ष सही कानून नहीं बनाता है। कानून की उक्त व्याख्या को जीतेंद्र नाथ सिंह बनाम आधिकारिक परिसमापक और अन्य में दोहराया गया है । हमने उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख केवल यह उजागर करने के लिए किया है कि इलाहाबाद बैंक के मामले में फैसले के इस हिस्से को खारिज कर दिया गया है।

16. इंटरनेशनल कोच बिल्डर्स लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम में, सवाल उठा कि क्या राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 और कंपनी अधिनियम, 1956 के बीच कोई विरोधाभास था और, उस संदर्भ में, विद्वान न्यायाधीशों ने एपी राज्य वित्तीय निगम बनाम आधिकारिक परिसमापक में पारित निर्णय पर भरोसा किया और यह निष्कर्ष निकाला कि एसएफसी अधिनियम और 1956 अधिनियम के प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है और यहां तक कि एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के तहत अधिकारों का समापन की स्थिति में काम करने का इरादा नहीं

है। एक कंपनी का. आगे यह राय दी गई है कि यह मानते हुए भी कि कोई विरोधाभास है, 1956 अधिनियम की धारा 529 और 529-ए में किए गए संशोधन एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के तहत अधिकारों को ओवरराइड और नियंत्रित करेंगे। डिवीजन बेंच ने कहा कि हालांकि 1956 का अधिनियम सामान्य कानून हो सकता है, फिर भी 1985 में इसमें पेश किए गए प्रावधानों का उद्देश्य श्रमिकों को विशेष अधिकार प्रदान करना था और प्संसद द्वारा बनाए गए विशेष कानून के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए, एसएफसी अधिनियम, 1951 की धारा 29 में निहित प्रावधानों पर प्रभावी होंगे ।

17. राजस्थान राज्य वित्तीय निगम और एक अन्य में, जब अपील दो विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो एक दलील दी गई कि इलाहाबाद बैंक और इंटरनेशनल कोच बिल्डर्स लिमिटेड के निर्णयों के बीच विरोधाभास था और, इसमें शामिल कानून के प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा गया था। तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इलाहाबाद बैंक और इंटरनेशनल कोच बिल्डर्स लिमिटेड के मामले में निर्धारित अनुपात का विश्लेषण किया और, विभिन्न अधिकारियों का हवाला देने के बाद, यह माना कि एक बार समापन की कार्यवाही शुरू हो गई है और परिसमापक को इसका प्रभारी बना दिया गया है और कंपनी की परिसंपत्तियों को बंद किया जा रहा है, आरडीबी अधिनियम के तहत आने वाले वित्तीय संस्थानों या एसएफसी अधिनियम के तहत आने वाले

वित्तीय निगमों से आयोजित संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय का वितरण परिसमापक और कंपनी न्यायालय की देखरेख में केवल अधिकारी के सहयोग से हो सकता है । किसी वित्तीय संस्थान या वसूली न्यायाधिकरण या किसी वित्तीय निगम या अदालत का अधिकार, जिसे एसएफसी अधिनियम की धारा 31 के तहत संपत्ति बेचने के लिए संपर्क किया गया है, छीना नहीं जा सकता है, लेकिन यह आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंधित है। आधिकारिक परिसमापक इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिससे कंपनी न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का अधिकार मिलता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 529-ए के अनुसार संपत्ति का वितरण होता है। इसके बाद पीठ ने कानूनी स्थिति का सारांश दिया। उक्त सारांश का प्रासंगिक भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

(i) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण की वसूली अधिनियम,1993 के तहत कार्य करने वाला एक ऋण वसूली न्यायाधिकरण बिक्री का आदेश देने और देनदार की संपत्तियों को बेचने का हकदार होगा, भले ही कोई कंपनी परिसमापन में हो, भले ही उसकी वसूली हो लेकिन केवल आधिकारिक परिसमापक या कंपनी न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक को नोटिस के बाद और उसकी सुनवाई के बाद।

XXX XXX

XXX

(iv) ऐसे मामले में जहां बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 या एसएफसी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, संबंधित ऋणदाता को अपनी प्रतिभूतियों की वसूली के संबंध में परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों के वितरण के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप उचित निर्देशों के लिए कंपनी न्यायालय से संपर्क करना होगा। ।"

18. उपरोक्त फैसले से यह स्पष्ट है कि बड़ी पीठ ने *इलाहाबाद बैंक* में निर्धारित कानून को मंजूरी दे दी। वास्तव में, यह ध्यान देने योग्य है कि बड़ी पीठ ने देखा है कि *इलाहाबाद बैंक* के मामले में, यह विचार किया गया है कि आरडीबी अधिनियम एक बाद का कानून होने और एक विशेष कानून होने के कारण सामान्य कानून, 1956 अधिनियम पर लागू होगा, लेकिन कहा गया है जहां तक एसएफसी अधिनियम का सवाल है, तर्क उपलब्ध नहीं है।

19. उपरोक्त अधिकारियों से, यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि बिक्री डीआरटी द्वारा आधिकारिक परिसमापक के सहयोग से की जानी है। हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि चूंकि वर्तमान विवाद केवल बिक्री से संबंधित है, हम वितरण के संबंध में कुछ नहीं कहने जा

रहे हैं। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि आरडीबी अधिनियम की धारा 19(19) के तहत, विधायिका ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वितरण 1956 अधिनियम की धारा 529-ए के अनुसार किया जाना है। ऐसा बताने का उद्देश्य यह है कि यह अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बकाया राशि की वसूली के लिए संपत्तियों की बिक्री के उद्देश्य से न्यायाधिकरण के पास विशेष क्षेत्राधिकार है।

20. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री रवीन्द्र कुमार का तर्क है कि एक आधिकारिक परिसमापक होने के नाते, वह कंपनी कोर्ट को रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी हैं और इसलिए, कंपनी कोर्ट के पास रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करने का क्षेत्राधिकार है, इसलिए आरडीबी अधिनियम के तहत वसूली अधिकारी द्वारा की गई बिक्री को रद्द करने का क्षेत्राधिकार है। विद्वान वकील इस बात पर जोर देंगे कि कंपनी न्यायालय की भूमिका को हाशिये पर नहीं डाला जा सकता क्योंकि कंपनी की संपत्ति पर उसका नियंत्रण होता है। इसके विपरीत, इलाहाबाद बैंक के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री देबल बनर्जी का कहना था कि कंपनी न्यायालय के क्षेत्राधिकार की तुलना भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए क्षेत्राधिकार से नहीं की जा सकती है।

21. उपरोक्त प्रस्तुतीकरण की सराहना करने के लिए, हम ज्योति भूषण गुप्ता और अन्य बनाम द बनारस बैंक लिमिटेड में दिए गए कथन

का संदर्भ ले सकते हैं। जिसमें विद्वान न्यायाधीशों ने कंपनी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बताते हुए कहा है कि क्षेत्राधिकार सामान्य है; यह उच्च न्यायालय की ओर से किसी असाधारण कार्रवाई पर निर्भर नहीं है। क्षेत्राधिकार भी मूल चरित्र का है क्योंकि क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए याचिका उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में विचार योग्य है न कि अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में। चूंकि उच्च न्यायालय कंपनी को उसके द्वारा देय ऋण का भुगतान करने के लिए देनदार की देनदारी पर निर्णय देता है, इसलिए, क्षेत्राधिकार दीवानी है। आगे यह देखा गया है कि आम तौर पर एक लेनदार को अपने देनदार से देय ऋण के भुगतान के लिए दायित्व लागू करने के लिए मुकदमा दायर करना पड़ता है। विधानमंडल ने, 1956 अधिनियम की धारा 187 द्वारा, उच्च न्यायालय को एक संक्षिप्त कार्यवाही में दायित्व निर्धारित करने और भुगतान के लिए आदेश पारित करने का अधिकार दिया है, लेकिन उस खाते पर, उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए क्षेत्राधिकार का वास्तविक चरित्र परिवर्तित नहीं किया गया है। आगे का विश्लेषण करने के बाद, चार-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा: -

"बंद करने का आदेश दी गई कंपनियों के दावों से निपटने का क्षेत्राधिकार भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है और उस सीमा तक पेटेंट पत्र को संशोधित किया गया है। हालाँकि, उच्च न्यायालय को लेटर्स पेटेंट द्वारा प्रदत्त मूल नागरिक क्षेत्राधिकार और विशेष अधिनियमों

द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार के चरित्र में कोई अंतर नहीं है। जब एक विशेष क़ानून द्वारा प्रदत्त अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में प्रस्तुत एक आवेदन में ऋण का भुगतान करने के दायित्व की घोषणा करता है, तो प्रयोग किया जाने वाला क्षेत्राधिकार मूल और दीवानी होता है और यदि उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग उच्च न्यायालय के विवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी प्रारंभिक कदम पर निर्भर नहीं करता है तो क्षेत्राधिकार सामान्य है।"

22. उपरोक्त कथन यह स्पष्ट करता है कि 1956 के अधिनियम के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय सामान्य क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है, न कि किसी असाधारण या अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का और इसीलिए, विधायिका ने उचित रूप से यह माना है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत प्रभावित नहीं होगा।

23. उपरोक्त विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि डीआरटी के पास बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में संपत्तियों को बेचने का विशेष क्षेत्राधिकार है, लेकिन नीलामी और बिक्री के समय, आधिकारिक परिसमापक को संबद्ध करना आवश्यक है। उक्त सिद्धांत को *प्रवीण गाडा और अन्य बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य में भी दोहराया गया है।*

24. एक बार जब आधिकारिक परिसमापक संबद्ध हो जाता है, तो कहने की जरूरत नहीं है कि उसकी यह देखने में भूमिका होती है कि नीलामी आयोजित करने में कोई अनियमितता न हो और आरडीबी अधिनियम के तहत बनाए गए नियम के अनुसार उचित, पारदर्शी और गैर-मनमाने तरीके से नीलामी आयोजित करके उचित मूल्य प्राप्त किया जाए। 25. इस समय, हम लाभ के साथ यह उल्लेख कर सकते हैं कि *भारत संघ और अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन और अन्य मामले मे* आरडीबी अधिनियम की संवैधानिक वैधता से निपटते समय तीन-न्यायाधीशों की पीठ के पास अवलोकन का अवसर था जिन्होंने कहा था:-

" अधिनियम की धारा 29 के आधार पर, आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 की दूसरी और तीसरी अनुसूची के प्रावधान, वसूली अधिकारी द्वारा बकाया की वसूली के लिए लागू हो गए हैं। वसूली के लिए विस्तृत प्रक्रिया आयकर अधिनियम की इन अनुसूचियों में निहित है , जिसमें डिफॉल्टर की गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि वसूली अधिकारी मनमाने ढंग से कार्य करेगा। इसके अलावा, धारा 30, संशोधन अधिनियम, 2000 संशोधन के बाद, वसूली अधिकारी के आदेश से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को न्यायाधिकरण में अपील करने का अधिकार देती है। इस प्रकार अब वसूली अधिकारी के किसी भी आदेश, जो कानून के अनुसार

नहीं हो, के खिलाफ एक अपीलीय मंच प्रदान किया गया है। इसलिए, वसूली अधिकारी द्वारा मनमाने या अनुचित तरीके से कार्य करने की स्थिति में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है।"

26. हमने उक्त अनुच्छेद का उल्लेख इस बात पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से किया है कि वसूली अधिकारी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली अपील डीआरटी में की जा सकती है। मौजूदा मामले में, आधिकारिक परिसमापक नीलामी के संचालन के तरीके से संतुष्ट नहीं था और उसने विद्वान कंपनी न्यायाधीश को रिपोर्ट करना उचित समझा, जिन्होंने नीलामी को रद्द कर दिया। जोर देने की जरूरत नहीं है, 1956 अधिनियम के तहत आधिकारिक परिसमापक की एक भूमिका है। वह श्रमिकों और लेनदारों के हितों की रक्षा करता है और इसलिए, नीलामी और बिक्री के समय उसका सहयोग इस न्यायालय द्वारा उचित समझा गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें उक्त मामलों में अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया गया है। इसलिए, कोई भी व्यक्ति जो वसूली अधिकारी द्वारा किए गए किसी भी कार्य से व्यथित है, अपील कर सकता है। ऐसा वैधानिक तरीका आरडीबी अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है, जो एक विशेष अधिनियम है। डीआरटी के पास आरडीबी अधिनियम के तहत जांच करने और आरडीबी अधिनियम की धारा 25 से 28 (दोनों सम्मिलित) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसूली अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की पुष्टि करने, संशोधित करने या रद्द करने की शक्तियां हैं। इस प्रकार, कानून की विशेष

प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, नीलामी, बिक्री और चुनौती को आरडीबी अधिनियम के तहत पूरी तरह से संहिताबद्ध किया गया है।

27. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बनर्जी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि कंपनी न्यायालय के साथ-साथ डीआरटी भी डीआरटी द्वारा निर्णय के बाद उसी नीलामी या बिक्री के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है, तो क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दोहरापन होगा। जिसकी आरडीबी अधिनियम परिकल्पना नहीं करता है। एक उदाहरण के रूप में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि ऐसे व्यक्तियों की कुछ श्रेणियां हैं जो बिक्री को चुनौती देने के लिए डीआरटी के समक्ष जा सकते हैं और यदि आधिकारिक परिसमापक कंपनी न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, तो ऐसी स्थिति केवल क्षेत्र में अराजकता लाएगी। विद्वान वरिष्ठ वकील की उपरोक्त दलील स्वीकार्यता योग्य है क्योंकि विधायिका की मंशा यह है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया की वसूली शीघ्रता से की जाए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है, तो गिरवी रखी गई संपत्ति/संपत्ति का मूल्य समय के साथ कम हो जाता है। यदि अधिक समय लगता है, तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अपना बकाया चुकाना वास्तव में कठिन हो जाएगा। इसलिए, इलाहाबाद बैंक के मामले में इस न्यायालय ने राय दी है कि जब कोई मामला डीआरटी के समक्ष उठाया जाता है तो डीआरटी के पास विशेष क्षेत्राधिकार होगा। उक्त मामले में आदेश को राजस्थान राज्य वित्तीय निगम और एक अन्य में

तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह ऐसी स्थिति नहीं है जहां आधिकारिक परिसमापक के पास डीआरटी या कंपनी न्यायालय से संपर्क करने का विकल्प हो। आरडीबी अधिनियम की भाषा स्पष्ट होने के कारण यह प्रावधान है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपील कर सकता है। आधिकारिक परिसमापक जिसका सहयोग अनिवार्य रूप से आवश्यक है, उसे निस्संदेह वसूली अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से पीड़ित व्यक्ति माना जा सकता है जिसमें नीलामी आयोजित करने या बिक्री की पुष्टि करने का तरीका शामिल होगा। इन परिस्थितियों में, आधिकारिक परिसमापक चुनाव के सिद्धांत का सहारा भी नहीं ले सकता। यह कल्पना करना कठिन है कि दो उपाय हैं। यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि केवल एक ही उपाय है, तो चुनाव का सिद्धांत लागू नहीं होता है और हम यह सोचते हैं कि आधिकारिक परिसमापक के पास केवल एक ही उपाय है, यानी, डीआरटी के समक्ष वसूली अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देना। ज्ञात हो कि, डीआरटी द्वारा आरडीबी अधिनियम की धारा 30 के तहत पारित आदेश अपील योग्य है। इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकालने और मानने के इच्छुक हैं कि आधिकारिक परिसमापक केवल आरडीबी अधिनियम के तहत अपील और आगे की अपील के तरीके का सहारा ले सकता है और आरडीबी अधिनियम के तहत वसूली अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि होने पर नीलामी या बिक्री की पुष्टि को रद्द करने के लिए कंपनी न्यायालय से संपर्क नहीं कर सकता है।

28. यदि हम एमवी जनार्दन रेड्डी के फैसले पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें कंपनी न्यायाधीश द्वारा बिक्री को खारिज कर दिया गया था, तो हम अपने कर्तव्य में असफल होंगे। यहां यह कहा जा सकता है कि कंपनी कोर्ट ने एक शर्त लगाई थी कि अचल या चल संपत्तियों की बिक्री की पुष्टि से पहले कंपनी कोर्ट की अनुमति ली जाएगी। उपरोक्त आधार पर, इस न्यायालय ने राय दी कि जब बैंक को नीलामी के माध्यम से परिसमापन के तहत कंपनी की संपत्तियों की प्रस्तावित बिक्री के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी, लेकिन ऐसी बिक्री कंपनी न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन थी और सभी पक्ष जानते थे कंपनी न्यायालय द्वारा बिक्री की पुष्टि की शर्त के बारे में, बिक्री की पुष्टि करना वसूली अधिकारी के लिए खुला नहीं था और इसलिए, आदेश का उल्लंघन होने के कारण, कंपनी न्यायालय द्वारा बिक्री को रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार, हम पाते हैं कि उक्त मामले में तथ्य बिल्कुल अलग थे और इसके अलावा इस न्यायालय ने डीआरटी की तुलना में कंपनी न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर विचार नहीं किया क्योंकि उक्त मुद्दा वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ था। इसलिए, यह इस प्रस्ताव का अधिकार नहीं है कि आधिकारिक परिसमापक डीआरटी के वसूली अधिकारी द्वारा आयोजित नीलामी या बिक्री को रद्द करने के लिए कंपनी न्यायालय से संपर्क कर सकता है।

29. उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर, हम डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं और मानते हैं कि आधिकारिक परिसमापक

डीआरटी के समक्ष अपील कर सकता है। चूँकि वह कंपनी कोर्ट के समक्ष पूरी वास्तविकता में मुकदमा चला रहा था और डिवीजन बेंच के समक्ष आदेश का बचाव कर रहा था, हम उसे उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अपील दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय देते हैं। ऐसी अपील किए जाने पर, डीआरटी कानून के अनुसार अपील से निपटेगा। डीआरटी को सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद दो महीने की अवधि के भीतर अपील पर फैसला करने का निर्देश दिया जाता है। अपील का निपटारा होने तक इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश लागू रहेगा। हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है।

30. नतीजतन, अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों के साथ किया जाता है और पार्टियों को अपनी-अपनी लागत वहन करने की जिम्मेदारी दी जाती है।

अपील का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रशंसा अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझााने के सीमत उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक एवं आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्यवन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।